रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 227] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 13, 1973/भाद्र 22, 1895

No. 227] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 13, 1973/BHADRA 22, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF AGRICULTURE
(Department of Food)

ORDER

New Delhi, the 13th September 1973

G.S.R. 435(E).—In exercise of the powers conferred by section 19 of the Rice Milling Industry (Regulation) Act, 1958 (21 of 1958), the Central Government hereby directs that the powers exercisable by it under sections 4, 5, 8, 9, 10, 12, 15 and 18 of the said Act shall be exercisable also by a State Government subject to the condition that before making an order under the said section 18 a State Government shall obtain the prior concurrence of the Central Government.

[No. 209(J&K) (1)/98/69-PY.II]

कृषि मंत्रालय
(खाद्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 13 सितम्बर, 1973

सा० का० नि० 435(अ).—धान कुटाई उद्योग (विनियमन) अधिनियम, 1958 (1958 का 21) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 4, 5, 8, 9, 10, 12, 15 और 18 के अधीन उसके

द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियां राज्य सरकार द्वारा भी इस शर्त के अधीन रहते हुए, प्रयोक्तव्य होंगी कि उक्त धारा 18 के अधीन आदेश करने से पहले राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार की पूर्व सहमति अभिप्राप्त करेगी।

[सं० 209 (ज०-क०) (1)/98/69—पी० वाई० II]

G.S.R. 436(E).—In pursuance of clause (1) of article 239 of the Constitution the President hereby directs that the Administrator of a Union territory appointed under the said clause shall, in relation to that Union territory, exercise the powers conferred on the Central Government by sections 4, 5, 8, 9, 10, 12, 15 and 18 of the Rice Milling Industry (Regulation) Act, 1958 (21 of 1958) subject to the condition that before making an order under the said section 18 the said Administrator shall obtain the prior concurrence of the Central Government.

[No. 209(J&K)(1)/99/69-PY.II]

सा०का० नि० 436(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 239 के खण्ड (1) के अनुसरण में निदेश देते हैं कि उक्त खण्ड के अधीन नियुक्त किया गया संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक उस संघ राज्य क्षेत्र के सम्बन्ध में धान कुटाई उद्योग (विनियमन) अधिनियम, 1958 (1958 का 21) की धारा 4, 5, 8, 9, 10, 12, 15 और 18 द्वारा केन्द्रीय सरकार को प्रदत्त शक्तियों का इस शर्त के अधीन रहते हुए प्रयोग करेगा कि उक्त धारा 18 के अधीन कोई आदेश करने से पहले उक्त प्रशासक केन्द्रीय सरकार की पूर्व सहमति अभिप्राप्त करेगा।

[सं० 209 (ज०-क०) (1)/99/69-पी०वाई० II]

G.S.R. 437(E).—In exercise of the powers conferred by section 19 of the Rice Milling Industry (Regulation) Act, 1958 (21 of 1958), the Central Government hereby rescinds the Order of the Government of India in the late Ministry of Food and Agriculture (Department of Food), No. G.S.R. 512, dated the 22nd April, 1959.

[No. 209(J&K)(1)/100/69-PY.II]

सा० का० नि० 437(अ).—धान कुटाई उद्योग (विनियमन) अधिनियम, 1958 (1958 का 21) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार भारत सरकार के भूतपूर्व खाद्य और कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग) के आदेश सं० सा० का० नि० 512, तारीख 22 अप्रैल, 1959 को विखण्डित करती है।

[सं० 209—(ज०-क०) (1)/100/69—पी० वाई० II]

G.S.R. 438(E).—In exercise of the powers conferred by section 19 of the Rice Milling Industry (Regulation) Act, 1958 (21 of 1958), the Central Government hereby rescinds the Orders of the Government of India in the late Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Department of Food), No. G.S.R. 1034 and No. GSR. 1211, dated the 27th May, 1968 and 19th May, 1969 respectively.

[No. 209(J&K)(1)/101/69-PY.II]

सा० का० नि० 438 (अ).—धान कुटाई उद्योग (विनियमन) अधिनियम, 1958 (1958 का 21) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के भूतपूर्व खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय (खाद्य विभाग) के आदेश सं० सा०का०नि० 1034 और सं० सा० का० नि० 1211, क्रमशः तारीख 27 मई, 1968 और 19 मई, 1969 को विखण्डित करती है।

[सं० 209 (ज०-क०) (1)/101/69—पी० वाई० II]

G.S.R. 439(E).—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 258 of the Constitution, the President hereby rescinds the notification of the Government of India in the late Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Department of Food), No. G.S.R. 225, dated the 12th February, 1971.

[No. 209(J&K)(1)/102/69-PY.II]

सा० का० नि० 439(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 258 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के भूतपूर्व खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय (खाद्य विभाग) की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 225, तारीख 12 फरवरी, 1971 को विखण्डित करते हैं।

[सं० 209 (ज०-क०) (1)/102/69/पी०वाई० II]

G.S.R. 440(E).—In exercise of the powers conferred by section 19 of the Rice Milling Industry (Regulation) Act, 1958 (21 of 1958), the Central Government hereby rescinds the Order of the Government of India in the Ministry of Agriculture (Department of Food), No. G.S.R. 1525, dated the 6th October, 1971.

[No. 209(J&K)(1)/103/69-PY.II]

सा० का० नि० 440(अ).—धान कुटाई उद्योग (विनियमन) अधिनियम, 1958 (1958 का 21) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग) के आदेश सं० सा० का० नि० 1525, तारीख 6 अक्तूबर, 1971 को विखण्डित करती है।

[सं० 209 (ज०-क०) (1)/103/69-पी० वाई० II]

G.S.R. 441(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Rice Milling Industry (Regulation) Amendment Act, 1972 (47 of 1972), the Central Government hereby appoints the 15th September, 1973 as the date on which the provisions of the said Act shall come into force.

[No. 209(J&K)(1)/104/69-PY.II]

ISHWAR CHANDRA, Jt. Secy.

सा० का० नि० 441(अ).—धान कुटाई उद्योग (विनियमन) संशोधन अधिनियम, 1972 (1972 का 47) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार 15 सितम्बर, 1973 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम के उपबन्ध प्रवृत्त होंगे।

[सं० 209 (ज०-क०) (1)/104/69-पी० वाई० II]

ईश्वर चन्द्र, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973